न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

A17
2

विविध प्रार्थना पत्र सं0 5/05
सरकार बनाम भूरी (मृतक) मानादेवी

03/2014 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

विविध प्रार्थना पत्र सं0 3/14
अनन्त राम वगैरा एवं जगदीश खोलायत पुत्र मु0 मानादेवी जाति जाट सा. जोगीवाला तह0सादुलशहर बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
2. श्री काशी राम रणवा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण साहबराम वगैरा की ओर से
3. श्री कुलवन्तसिंह सिधू, अधिवक्ता, गुरबचनसिंह प्रार्थीगण की ओर से
4. श्री प्रदीप सिहाग, अधिवक्ता, प्रार्थी जगदीश की ओर से।

आदेश

दिनांक : 6-1-2017

उपर्युक्त दोनों विविध प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है क्योंकि मूल सीलिंग प्रकरण सं0 75/77 सरकार बनाम भूरीदेवी निर्णय दिनांक 17–3–87 के उपरांत इस न्यायालय में अनन्तराम, पतराम, साहबराम एवं ख्यालीराम पिसरान श्री बीरबलराम जाति जाट सा0 जोगीवाला तह0 सादुलशहर द्वारा प्रस्तुत 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 13–9–2001 को आदेश पारित किया गया था, के क्रम में भूमि खरीददारान की ओर से धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

1. विविध प्रार्थना पत्र सं0 5/05 सरकार बनाम भूरी (मृतक) माना देवी

(1) दिनांक 15–3–05 को प्रार्थीगण अन्ताराम, पतराम, साहबराम, ख्यालीराम अकवाम जाट सकनाए जोगीवाला तह0 सादुलशहर ने जरिये अधिवक्ता श्री काशी राम रणवां प्रार्थना पत्र अ0 धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 16 एल एल जी में प्रार्थी अन्ताराम के नाम से मु0 नं0 60 में कि0 नं0 5–6–7–14–15 की 5 बीघा, प्रार्थी पतराम के नाम मु0 नं0 58 की किला नं0 11 की 1–00 बीघा, मु0 नं0 59 के किला नं0 6–7–14–15–16–17–18 की 8–00 बीघा, प्रार्थी साहबराम की मु0 नं0 54 में कि0 नं0 22 की 1–00 बीघा, मु0 नं0 59 के किला नं0 1 से 3, 8 से 10 व 13 की 8–00 बीघा एवं प्रार्थी ख्यालीराम की मु0 नं0 58 में कि0 नं0 1–2, 8 से 10, 12–13 की 7 बीघा कुल 28 बीघा भूमि का कब्जा न्यायालय के आदेश दिनांक 13–9–01 की अवहेलना में तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा ले लिया गया है, जबकि घोषणाकर्ता के धारण में 56 बीघा भूमि थी। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि आदेश दिनांक 13–9–01 की पालना में 28 बीघा भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को वापिस लौटाया जावे।

(2) दिनांक 15–7–05 को प्रार्थीगण गुरबचनसिंह पुत्र करनैलसिंह, बलराजसिंह पुत्र किशनसिंह, गुरप्रीतसिंह, बलकारसिंह पिसरान राजसिंह, जसवीरकौर बेवा राजसिंह व सर्वजीतकौर पुत्री राजसिंह जाति जटसिख सकनाए 15 एल एन पी सैकण्ड तहसील श्री गंगानगर ने जरिये अधिवक्ता श्री कुलवन्तसिंह सिधू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बीरबल पुत्र डूँगरराम के नाम से कोई सीलिंग केस नहीं चला है। रामचन्द्र पुत्र जैसा राम के नाम से सीलिंग प्रकरण सं0 75/77 दर्ज हुआ था, जिसका निर्णय दिनांक 17–3–87 को किया जा कर कुल 294 बीघा 14 बिस्वा में से 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा तक छोड़ कर शेष 253 बीघा 6 बिस्वा जिसमें 209 बीघा तहसील सादुलशहर की व 44 बीघा 6 बिस्वा तहसील श्री गंगानगर की भूमि थी। मु0 नं0 20 कि0 नं0 1 सालम व किला नं0 10 की 0.06

P.C. Attested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

बिस्वा कुल 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि का विकय बीरबल राम द्वारा प्रार्थीगण को जरिये बैयनामा (मोहन लाल को बैय करके, मोहन लाल द्वारा जरिये बैयनामा प्रार्थीगण को दिनांक 2–5–78 को बेचान किया गया है) दिनांक 2–5–78 को बेचान किया गया था। इस रकबा का भूमिधारी द्वारा ओप्सन नहीं दिया जा सकता था और न ही यह रकबा अधिग्रहित किया जा सकता था। खाता सं0 55/45 में उक्त रकबा प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

2. विविध प्रार्थना पत्र सं0 3/14 अंताराम वगैरा बनाम राज्य

दिनांक 20–8–14 को प्रार्थीगण पतराम, साहबराम पिसरान श्री बीरबलराम, लीलाधर, सत्यनारायण पिसरान श्री अनन्तराम, प्रभुदयाल, महेन्द्र पिसरान श्री ख्यालीराम अकवाम जाट सकनाए जोगीवाला तहसील सादुलशहर ने जरिये अधिवक्ता श्री काशीराम रणवां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सीलिंग प्रकरण सं0 75/77 में पारित निर्णय दिनांक 17–3–87 जिसमें 253.04 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे । यह आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक कायम रहा था। तहसीलदार ने आदेश से बाहर जाकर प्रार्थीगण के पिता बीरबलराम पुत्र डूँगरराम जिसका सीलिंग प्रकरण से कोई संबंध नहीं था, की खातेदारी भूमि चाके चक 15 एल एल जी मु0 नं0 7 प0 नं0 41/78 कि0 नं0 11,19 ता 23, प0 नं0 51/78 मु0 नं0 8 कि0 नं0 8,10 ता 25 कुल 23 बीघा भूमि का कब्जा अनाधिकृत रूप से ले लिया गया। इसके अति0 चक 16 एल एल जी के मु0 नं0 54 के कि0 नं0 22 जो भी सीलिंग प्रकरण में असैस नहीं किया गया था, का भी कब्जा तहसीलदार द्वारा अनाधिकृत रूप से ले लिया गया। निर्णय दिनांक 13–9–01 की पालना मे 24 बीघा भूमि का कब्जा वापिस नहीं दिया गया। आदेश दिनांक 13.9.01 के विरूद्व स्टेट द्वारा मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील सं0 319/02 सरकार बनाम अनन्तराम वगैरा दायर की गई। दिनांक 28–4–14 को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपील का निर्णय किया जाकर स्टेट की अपील खारिज कर दी गई और इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.01 की पुष्टि कर दी गई। इस प्रकार निवेदन किया है कि उपरोक्तानुसार 24 बीघा भूमि का कब्जा वापिस प्रार्थीगण को लौटाया जावे।

दिनांक 11–6–15 को प्रार्थी जगदीश खौलायत पुत्र मानादेवी विधवा श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी जोगीवाला तह0 सादुलशहर ने जरिये अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। दिनांक 7–10–15 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी जगदीश को बतौर प्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया।

दिनांक 4–11–15 को प्रार्थी श्रवणकुमार पुत्र मनी राम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर ने जरिये अधिवक्ता श्री काशीराम रणवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 16 एल एल जी के मु0 नं0 53 के किला नं0 22 का कब्जा प्रार्थी को वापिस लौटाये जाने का निवेदन किया है।

उक्त प्रकरणों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में विधि प्रकोष्ठ से एवं तहसीलदार, सादुलशहर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता श्री काशीराम ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सीलिंग प्रकरण सं0 75/77 सरकार बनाम भूरी में दिनांक 17–3–87 को निर्णय पारित कर भूमिधारी की 253 बीघा 6 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। दिनांक 13–9–01 को पूर्व निर्णय दिनांक 17–3–87 की पुष्टि में आदेश दिया गया था कि भारमुक्त भूमि का कब्जा लिया जावे और भारयुक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने हेतु सर्वप्रथम नवीनतम जिस भूमि का बेचान हुआ है, उसका कब्जा व तदानुसार उसके आगे के कम में नियमानुसार कब्जा बहक सरकार लिया जावे। निर्धारित भारयुक्त भूमि के कम में अप्रार्थी द्वारा धारित भूमि सबसे पहले रामचन्द्र भूमिधारक द्वारा दिनांक 15–9–70 को देवी लाल, मोहन लाल, इन्द्राज तीनों को अपनी भूमि जरिये हिब्बानामा हस्तान्तरित कर दी थी। इसके बाद उक्त तीनों ने अप्रार्थीगण मनीराम, साहबराम अनन्तराम, जयमलराम, पतराम एवं ख्यालीराम को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20–10–1977 को बेचान कर दी। इस प्रकार सर्वप्रथम यह रकबा 15–9–70 को भारयुक्त हुआ और अप्रार्थीगण द्वारा पुनः दिनांक 20–10–77 को खरीद किया गया है। भारयुक्त भूमि का कब्जा सबसे बाद में लिया जायेगा, यदि कब्जा लेने की जरूरत पड़ी तो। इस प्रकार निवेदन किया है कि भारयुक्त भूमियों का

P.C. Attested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

03
2014

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A/2
4

कम निर्धारण किया जाकर अप्रार्थीगण की उपरोक्त खरीद की गई भारयुक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण को वापिस दिलाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता श्री कुलवन्तसिंह सिधू ने लिखित बहस में निवेदन किया है कि बीरबल पुत्र डूँगरराम व रामचन्द्र पुत्र जैसा जाति जाट निवासी जोगीवाला के पास अन्य आराजी के अलावा चक 15 एल एन पी सैकेण्ड ए तहसील श्री गंगानगर में जरिये जमाबंदी खतौनी सं0 37 सम्वत् 2030–33 की कुल 310 हिस्सा यानि 15 बीघा 10 बिस्वा मु0 नं0 13, कि0 नं0 22/2 के 10 बिस्वा, मु0 नं0 20 के कि0 नं0 1,2,8 ता 13, 18 ता 21 कुल 12 बीघा व मु0 नं0 43 का कि0 नं0 16 सालम, मु0 नं0 49 का कि0 नं0 16,25 कुल 2 बीघा कुल तादादी 15 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज थी यानि प्रत्येक का 155 हिस्सा अर्थात् 7 बीघा 15 बिस्वा दर्ज थी। बीरबल राम ने अपनी उपरोक्त 7 बीघा 15 बिस्वा में से कब्जा काश्त व खातेदारी की 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि दिनांक 2–8–77 को मोहन लाल पुत्र जयराम जाति जाट सा0 जोड़किया को रजि0 बैयनामा से बेचान कर दी। मोहन लाल ने अपनी खरीद शुदा आराजी को दिनांक 2–6–78 को जरिये रजिस्ट्री बैयनामा मु0 नं0 20 के कि0 नं0 8–9 की 2 बीघा भूमि किशनसिंह पुत्र करनैलसिंह को, मु0 नं0 20 कि0 नं0 1–2 की 2 बीघा करनैलसिंह पुत्र गुजरसिंह, मु0 नं0 20 कि0 नं0 10 एवं 11 की 0.15 बिस्वा, मु0 नं0 13 कि0 नं0 22 की 0.10 बिस्वा कुल 2.05 बीघा भूमि गुरबचनसिंह पुत्र करनैलसिंह को बेचान कर दी। इस प्रकार 6 बीघा 5 बिस्वा अर्थात् 125 हिस्सा बैय करने के बाद बीरबल के पास कुल 155 हिस्सा में से 30 हिस्सा उसके नाम शेष रह गई। बीरबलराम के खिलाफ कभी कोई सीलिंग केस नहीं चला। इसी प्रकार, रामचन्द्र पुत्र जैसा ने अपने हिस्से व कब्जा काश्त की 7 बीघा 15 बिस्वा आराजी में से 129 हिस्सा अर्थात् 6 बीघा 9 बिस्वा आराजी दिनांक 30.5.70 को जरिये गिफ्ट डीड देवी लाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रामसरा को हस्तान्तरित कर दी। उसके पास केवल 26 हिस्सा शेष रह गई। देवी लाल ने उपरोक्त 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि दिनांक 2–5–78 को मु0 नं0 20 कि0 नं0 11 में 5 बिस्वा, कि0 नं0 12–13 कुल 2 बीघा 5 बिस्वा करनैलसिंह पुत्र गुजरसिंह, मु0 नं0 20 कि0 नं0 18–19 की कुल 2 बीघा, मु0 नं0 43 की कि0 नं0 16 के 0.04 बिस्वा कुल 2 बीघा 4 बिस्वा किशनसिंह पुत्र करनैलसिंह को, मु0 नं0 20 के कि0 नं0 20–21 की कुल 2 बीघा गुरबचनसिंह पुत्र करनैलसिंह को बेचान कर दी। उपरोक्त प्रकार से बेचान करने के बाद रामचन्द्र पुत्र जैसा के पास 26 हिस्सा शेष भूमि रही। इस प्रकार कुल 310 हिस्सा में से बीबरल पुत्र डूँगर राम के पास 30 हिस्सा, रामचन्द्र पुत्र जैसा के पास 26 हिस्सा, किशनसिंह पुत्र करनैलसिंह के पास 84 हिस्सा, गुरबचनसिंह पुत्र करनैलसिंह के पास 85 हिस्सा एवं करनैलसिंह पुत्र गुजरसिंह के पास 85 हिस्सा रही। इस प्रकार उक्त तीनों खरीददारों के पास 12 बीघा 14 बिस्वा रकबा यानि 254 हिस्सा था। किशनसिंह व करनैलसिंह की मृत्यू हो जाने पर उनके वारिसान के नाम उनका हिस्सा दर्ज किया गया। बीरबल राम के खिलाफ कोई सीलिंग केस कभी नहीं चला। प्रार्थीगण की खरीदशुदा चक 15 एल एन पी सैकेण्ड ए की खरीदशुदा आराजी 12 बीघा 14 बिस्वा ना तो घोषणा पत्र में शामिल थी और न ही उसका असैसमेन्ट किया गया। यह सन् 1970 व 1977 में बिक चुका था। इसके बावजूद भी इस खरीदशुदा आराजी चक 15 एल एन पी सैकेण्ड के मु0 नं0 20 के कि0 नं0 1 व 10 का रकबा अधिग्रहित कर लिया गया, जो बीरबल राम से खरीद किया गया था, जिसके विरुद्ध कोई सीलिंग केस नहीं था। इस प्रकार निवेदन किया है कि चक 15 एलएनपी सैकेण्ड ए के मु0 नं0 20 के कि0 नं0 1 व 10 की आराजी जो प्रार्थीगण ने बीरबल राम (उसके द्वारा मोहन लाल पुत्र जयराम को दिनांक 2.8.77 को बेचे जाने के बाद दिनांक 21–5–75 को खरीद किया है) जिसको अधिकृत किया गया(अधिकृत भूमि के रूप में जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया है, वापिस खरीददारान के नाम दर्ज कर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में कुल 12 बीघा 14 बिस्वा रकबा दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी जगदीश के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग ने अपनी बहस में बताया है कि जगदीश के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 12499/16 दायर की जा चुकी है जिसमें इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.9.01 एवं माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 28–4–14 को चुनौति दी गई है। रिट माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है।

P.C. Attested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

03/2014 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A17/5

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.9.01 के विरूद्व मा0 राजस्व मण्डल में दायर अपील के निर्णय दिनांक 28–4–14 में स्टेट की अपील को खारिज कर पूर्व निर्णय दिनांक 13.9.01 की पुष्टि की गई है। अतः मा0 मण्डल के निर्णय दिनांक 28.4.14 की पालना में निर्णय दिनांक 13.9.01 के अनुसार अधिग्रहण भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाना चाहिये।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट कमांक 5068 दिनांक 19–11–14 में वर्णित किया है कि चक 15 एलएलजी मु0 नं0 7 के कि0 नं0 11 व 19 ता 23 रकबा राज है। इसी चक के मु0 नं0 8 के कि0 नं0 10 ता 25 रकबा राज है लेकिन इन भूमियों पर अनन्तराम पुत्र साहबराम का कब्जा है। इसी चक के मु0 नं0 8 का कि0 नं0 8 ओमप्रकाश पुत्र देवी लाल तथा चक 16 एलएल जी के मु0 नं0 54 के कि0 नं0 22 देवी लाल पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज है व उनके कब्जा काश्त में है।

विधि प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट ने अपने पत्र कमांक एफ16(5)परी/वि0प्र0/14/775 दिनांक 17–3–15 के साथ राजकीय अधिवक्ता की राय प्रेषित कर अवगत कराया है कि जी0ए0 की राय व निर्णय से सहमति है। निर्णयानुसार भारमुक्त भूमि का अधिग्रहण संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जाना चाहिये।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि मूल सीलिंग प्रकरण सं0 75/77 सरकार बनाम भूरी वगैरा में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17–3–87 को निर्णय पारित कर 253 बीघा 6 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण के आदेश पारित किये गये थे, जिसके विरूद्व मा0 राजस्व मण्डल में सीलिंग अपीलें दायर हुई जो दिनांक 30–11–88 को खारिज कर दी गई तथा मा0 मण्डल द्वारा आदेश दिया गया कि एक माह का समय ऑप्सन हेतु दिया जाकर रकबा अधिग्रहण किया जावे। इस आदेश के विरूद्व रिव्यू दायर हुआ जो दिनांक 23.1.90 को खारिज हो गया। तत्पश्चात् मु0 भूरी देवी द्वारा भी मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई जो एकल पीठ व खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दी गई एवं मा0 मण्डल के निर्णय दिनांक 30.11.88 को उचित ठहराया गया। इस प्रकार उपरोक्त समस्त निर्णयों के उपरांत सीलिंग का मूल निर्णय दिनांक 17–3–87 अंतिम रहा।

निर्णय दिनांक 13.9.01 में विस्तृत आदेश पारित किया गया है। हस्तगत आदेश में अलग से विवेचन करने का औचित्य नहीं है। आदेश दिनांक 13.9.01 में प्रार्थीगण अनन्तराम वगैरा का प्रार्थना पत्र दिनांक 22–3–98 स्वीकृत किया जाकर तहसील सादुलशहर में स्थित चक 15 एल एल जी के मु0 नं0 7 प0 नं0 41/78, कि0 नं0 11,19,23 प0 नं0 51/78 मु0 नं0 8 के कि0 नं0 8,10 ता 25 कुल 23 बीघा भूमि बीरबल पुत्र डूँगरराम की है, को सीलिंग प्रकरण सं0 75/77 में असैस नहीं करने के कारण वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये गये थे। इसी प्रकार, मु0 नं0 54 के कि0 नं0 22 की एक बीघा भूमि जो साहब राम के नाम से है, को सीलिंग प्रकरण में असैस नहीं करने के कारण साहबराम पुत्र बीरबलराम को वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये गये थे।

जहाँ तक प्रार्थीगण गुरबचनसिंह वगैरा का प्रश्न है, चक 15 एल एन पी सैकण्ड ए के मु0 नं0 20 के कि0 नं0 1 व कि0 नं0 10 की भूमि जो बीरबलराम से खरीद की गई थी, बीरबलराम के विरूद्व कोई सीलिंग केस नहीं चला था और न ही सीलिंग प्रकरण में उक्त रकबा को असैस किया गया था इसलिए प्रार्थीगण गुरबचनसिंह वगैरा से अधिग्रहित की गई भूमि मु0 नं0 20 के कि0 नं0 1 व 10 की भूमि वापिस प्रार्थीगण को लौटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

जहाँ तक प्रार्थी जगदीश का प्रश्न है कि उसके द्वारा निर्णय दिनांक 13.9.01 व मा0 मण्डल के निर्णय दिनांक 28.4.14 के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की हुई है। मेरे विन्रम मत में माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा कोई स्थगन आदेश नहीं है जिससे हस्तगत निर्णय को पारित करने में विधिक बाधा हो। विचाराधीन रिट में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित होगा, वह संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :–

P.C. Attested

Law

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Law

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर निम्नानुसार पालना सुनिश्चित करें :-

(1) इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2001 के विरूद्ध स्टेट द्वारा मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में पायर सीलिंग अपील सं0 319/02 सरकार बनाम अनन्तराम वगैरा में दिनांक 28-4-14 को निर्णय पारित कर स्टेट की अपील खारीज मानते हुए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2001 की पुष्टि कर दिये जाने से एवं विधि प्रकोष्ट, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक एफ16(6)परी/वि0प्र0/14/775 दिनांक 17-3-15 की पालना में आदेश दिये जाते हैं कि आदेश दिनांक 13.9.01 की पालना की जाकर प्रार्थीगण अनन्त राम वगैरा को चक 15 एलएलजी के मु0 न0 7 प0 नं0 41/78, कि0 नं0 11,19 ता 23, प0 नं0 51/78 मु0 नं0 8 कि0 नं0 8,10 ता 25 कुल 23 बीघा एवं मु0 नं0 54 के कि0 नं0 22 की एक बीघा भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को वापिस लौटाया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित की जावे।

(2) प्रार्थीगण अनन्तराम वगैरा द्वारा दिनांक 23-2-16 को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा चक 16 एल एल जी तहसील सादुलशहर में मु0 नं0 52,60,54,58 में भूमि दिनांक 20-10-77 को इन्द्राज, मोहन लालपिसरान जैसा राम एवं देवी लाल पुत्र भागीरथ से दिनांक 20-10-77 को भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई थी। उक्त भूमि द्वितीय बैयनामों से खरीद की गई थी। उक्त भूमि को सबसे पहले रामचन्द्र भूमिधारक द्वारा दिनांक 15-9-70 को देवी लाल, मोहन लाल व इन्द्राज तीनों को जरिये हिब्बानामा हस्तान्तरित की गई थी। चक 16 एलएलजी की भूमि को सीलिंग प्रकरण सं0 75/77 सरकार बनाम भूरी देवी निर्णय दिनांक 17-3-87 में अरीस किया गया है। अतः उक्त भूमि के संबंध में निर्णय दिनांक 13-9-01 की पालना की जानी है।

(3) दिनांक 4-11-15 व दिनांक 18-12-15 को प्रार्थी श्रवणकुमार पुत्र मनी राम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1-6-92 की पालना में चक 16 एल एल जी के मु0 नं0 53 के कि0 नं0 22 के एक बीघा का कब्जा प्रार्थी को वापिस नहीं लौटाया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 1-6-92 के कम में यदि कोई स्थगन आदेश न हो तो पालना की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर निम्नानुसार पालना सुनिश्चित करें :-

(1) जहाँ तक, प्रार्थीगण गरबचनसिंह पुत्र करनैलसिंह, बलराजसिंह, किशानसिंह, गुरप्रीतसिंह, बलकारसिंह पिसरान राजसिंह जसवीरकौर बेवा राजसिंह व सर्वजीतकौर पुत्री राजसिंह जाति तटसिख सकनाए 15 एलएनपी सै0 ए का प्रश्न है, इनके द्वारा चक 15 एलएनपी सैकेण्ड ए तहसील श्री गंगानगर में खतौनी सं0 37, मु0 नं0 13 कि0 नं0 22/2 का 0.10 बिस्वा भूमि, मु0 नं0 20 के कि0 नं0 1-2 ,8 ता 13, 18 ता 21 की 12 बीघा व मु0 नं0 43 में कि0 नं0 16 की 0.04 बिस्वा कुल 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि दिनांक 2-5-78 को द्वितीय बैयनामों के द्वारा खरीद की गई है, जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न बैयनामों से होती है। (जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम 15 एलएनपी सैकेण्ड ए खतौनी सं0 37 के अनुसार मु0 नं0 13 किला नं0 22/2 की 0.10 बिस्वा, मु0 नं0 20 के कि0 नं0 1,2,8 से 13, 18 से 21, मु0 नं0 49 के कि0 नं0 16 की 0.18 बिस्वा नहरी व 0.02 बिस्वा रास्ता, मु0 नं0 49 के कि0 नं0 16 0.18 बिस्वा नहरी, 0.02 बिस्वा रास्ता, कि0 नं0 25 की 0.16 बिस्वा नहरी व 0.04 बिस्वा रास्ता कुल 15 बीघा 10 बिस्वा जिसमें 15 बीघा 01 बिस्वा नहरी व 0.09 बिस्वा रास्ता की भूमि थी जो बीरबल वल्द डूँगर व रामचन्द वल्द जैसा कौम जाट साकिन जोगीवाला के नाम थी) प्रथम बेचान बीरबलराम द्वारा मोहन लाल के पक्ष में दिनांक 2-8-77 को किया गया था। तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेते समय मु0 नं0 20 के कि0 नं0 1 का एक बीघा व कि0 नं0 10 की 06 बिस्वा भूमि कम कर दी गई है। प्रार्थीगण द्वारा चक 15 एलएनपी सैकेण्ड ए की खरीदशुदा भुमि का सीलिंग प्रकरण सं0 75/77 सरकार बनाम भूरी में पारित निर्णय दिनांक 17-3-87 में रकबा अरीस नही किया गया है। निर्णय दिनांक 13.09.01 के पेज सं0 3 में अंकित किया गया है कि निर्णय दिनांक 17-3-87 में जिस भूमि को अरीस किया गया है, उस भूमि का विवरण अंकित है। उस विवरण में चक 15 एलएनपी सैकेण्ड ए तहसील श्री गंगानगर की भूमि अंकित नही है। बीरबल पुत्र डूँगरराम के नाम सीलिंग प्रकरण नहीं चला है।

P.C. Attested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

Scanned by CamScanner

2014 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A17
7

अतः प्रार्थीगण गुरबचनसिंह की खरीदशुदा उक्त भूमि मु0 नं0 20 के कि0 नं0 1 व किला नं0 10 की 0.06 बिस्वा भूमि जो कब्जा लेते समय कम कर दी गई है, जिसे सीलिंग प्रकरण सं0 75/77 में असैस नहीं किया गया है, को वापिस लौटाते हुए, राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की जावे साथ ही उक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई कुल 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि की सीमा तक खरीद अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज रहे।

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 13-9-2001 में सीलिंग प्रकरण में अधिग्रहित की गई भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने संबंधी निर्देश विस्तार से दिये गये हैं, जिसकी पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने सीलिंग अपील सं0 319/02 में निर्णय दिनांक 28-4-14 द्वारा की गई है एवं विधि प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्री गंगानगर ने भी विधिक परीक्षण उपरांत अपने आदेश कमांक एफ16(5)परी/वि0प्र0/14/775 दिनांक 17-3-15 द्वारा जी0ए0 की राय व निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए निर्णयानुसार भारमुक्त भूमि का अधिग्रहण संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जाना चाहिये, के निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक 13-9-2001 के अनुसार कुल 243-14 बीघा भूमि की सीमा तक ही सीलिंग में अधिग्रहित भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाना है। प्रार्थीगण अनन्तराम वगैरा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामों से दिनांक 20-7-77 को चक 16 एल एल जी के मु0 नं0 52-60-54-58 में खरीद की गई भूमि भारयुक्त भूमि है, जिसे सीलिंग प्रकरण में असैस किया गया है, के संबंध में निर्णय दिनांक 13-9-01 की पालना में सर्वप्रथम भारमुक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाये। भारयुक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने हेतु सर्वप्रथम नवीनतम जिस भूमि का बेचान हुआ है, उसका कब्जा व तदानुसार उसके आगे के कम में नियमानुसार कब्जा लिया जाना है । सीलिंग प्रकरण में अधिग्रहित भूमि आवंटन होने तक भूमि की काश्त व्यवस्था जरिये निलामी नियमानुसार करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

आदेश की प्रति, निर्णय दिनांक 13-9-01 एवं मा0 मण्डल के निर्णय दिनांक 28-4-14 एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1-6-92 की प्रतियॉ तहसीलदार, सादुलशहर एवं श्री गंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

उपरोक्तानुसार आदेश आज दिनांक 06.01.17 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/1/17
(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

P. C. Attested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner